# गॉव की बेटी योजना

**उदेश्य–** ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभावान बालिकाओं की शिक्षा का स्तर बढ़ाने एवं उच्च शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना ।

**पात्रता –**

1. छात्र को गॉव का निवासी होना चाहिये (इस योजना के लिये नगर पंचायत ग्रामीण क्षेत्र माना जायेगा )
2. 12 वी कक्षा गॉव में रहकर गॉव की पाठशाला से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना चाहिये।
3. जिस सत्र में 12 वी कक्षा उत्तीर्ण की हो उसी सत्र में उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश लेना आवश्यक होगा ।
4. नवोदय विद्यालय से पढ़कर 12 वी कक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रायें अगर उपरोक्त शर्ते पूर्ण करती है तो पात्र होगी ।
5. 12 वी कक्षा के पश्चात शासकीय शैक्षणिक संस्थायें,अनुदान प्राप्त अशासकीय शैक्षणिक संस्थायें जिनकी फीस शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं के अनुसार होना आवश्यक है ।
6. छात्रा का निरंतरता के साथ आगामी कक्षा में प्रवेश लेना आवश्यक होगा।

**प्रक्रिया –**

1 प्रत्येक पाठशाला प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण छात्राओं की एक मैरिट सूची तैयार कर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को प्रेषित करेगी । कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत की अध्यक्षता में गठित समिति प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई छात्रायें को गॉव की बेटी का प्रमाण पत्र जारी करेगी ।

2. छात्रा द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र, सरपंच द्वारा हस्ताक्षरित गॉव का मूल निवासी प्रमाण पत्र, जनपद पंचायत द्वारा जारी किये जाने वाले गॉव की बेटी के प्रमाण पत्र के साथ अध्ययनरत महाविद्यालय में आवेदन देना चाहिये।

**लाभ –**

1. पाठयक्रम के लिये निर्धारित शुल्क में छूट ।
2. छात्रावास में प्रवेश के लिये प्राथमिकता
3. परम्परागत् पाठ्यक्रम हेतु ₹ 500/– प्रतिमाह की दर से (10 माह के लिये) सलाना छात्रवृत्ति
4. तकनीकी शिक्षा तथा चिकित्सा शिक्षा में अध्ययन करने वाली छात्रों को ₹ 7,50/–प्रतिमाह (10 माह के लिये ) सलाना छात्रवृत्ति ।